न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीश्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद प्रकारण संख्या 52/2019

1. गुरशरण कौर पुत्री चम्बा सिंह पत्नी जगसिंह जाति मजहबी सिख्या निवासी मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीश्रीगंगानगर

— — **वादी**

—:: बनाम ::—

1. राजविन्द्र पुत्र जसवीर जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीश्रीगंगानगर

— — **प्रतिवादी**

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्रीमती मंजू गुप्ता — — प्रार्थी
2. श्री भारत भूषण नागपाल — — प्रतिवादी

—:: आदेश ::— दिनांक :— 08.07.2019

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीया के पिता चम्बासिंह के नाम से चक 16 एफ बडा तहसील व जिला श्रीश्रीगंगानगर के खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 26 में 5.401 हैक. कृषि भूमि थी जिसमें से कुछ रेवले लाइन में जाने के बाद 4.725 हैक. कृषि भूमि है। जिसमें वादीया के पिता की मृत्यु अरसा दराज पहले हो चुकी है और वादीया के पिता की मृत्यु के बाद हम सात वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर यानि की 1/7 कृषि भूमि सभी वारिसान के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और जमाबंदी की नकल संलग्न है। वादीया के पिता की मृत्यु के बाद वादीया की माता दिया कौर व भाई जोधसिंह, बलदेवसिंह, खुशदयालसिंह, बलकारसिंह, राजसिंह व वादीया गुरशरण कौर के नाम से बहिस्सा बराबर विरास्तन 1/7 कृषि भूमि दर्ज हुई व उसके बाद बलकार सिंह की मृत्यु होने के बाद उसका हिस्सा उसकी पत्नी गुरचरण कौर व पुत्र शेर सिंह व उसकी पुत्री छनकौर के नाम दर्ज हुआ । वादीया की माता विदया कौर व भाई जोध सिंह भी फौत हो चुके है तथा भाई जोधसिंह अविवाहित फौत होने के कारण माता विदया कौर व जोध सिंह के 1/7 यानि की दोनों की 2/7 1.3560 नहरी भूमि दर्ज जमाबंदी खातेदार है और चूंकि माता विदया कौर व भाई जोधसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण इन दोनों के हिस्से का रकबा 1.350 में से 1/5 हिस्सा भूमि वादीया को विरास्तन प्राप्त हुई है। अब उपरोक्त कृषि भूमि चक 16 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता

बनता है जिसकी वादीया मालिक व खातेदार है और सभी वारिसान का बहिस्सा बराबर बराबर कब्जा काश्त है और उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में 1/7 हिस्से के हिसाब से विरास्तन दर्ज है माता विदया कौर व भाई जोधा सिंह का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अभी 1/5 के रूप में दर्ज नहीं हआ है और उपरोक्त भूमि मुस्तर्का खाते में दर्ज है। किलाजात खोला नहीं जाकर बंटवारा नहीं हुआ हैं। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीया मालिक व काबिज हैं उपरोक्त भूमि पर वादीया का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीया वृद्ध व काश्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण वादीया हिस्से की कृषि भूमि ठेके पर देकर काश्त करवा रही थी और सन् 2018 में हिस्से ठेके पर एक साल के लिए कृषि भूमि वादीया ने प्रतिवादी राजविन्द्र पुत्र जसवीर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तह. व जिला श्रीगंगानगर को दी हुई थी। प्रतिवादी के मन में वादीया को बुर्जुग व लाचार देख कर गलत लालच आ गया और वादीया हमेशा बदल बदल हिस्सा ठेका पर अक्सर जमीन देती रही परन्तु प्रतिवादी के मन में बदनियती होने के कारण व प्रतिवादी द्वारा ब्लेकमेल कर दबाव बनाया जा सके कि नियत से प्रतिवादी के द्वारा हिस्से ठेके की आड में कुछ तथाकथित कागजात तैयार कर लिये गये हैं जिसकी जानकारी अब वादीया को सन् 2019 के लिए आगे कृषि भूमि ठेके पर आगे प्रतिवादी से अगल साहब पुत्र दर्शन सिंह नामक व्यक्ति को देने के लिए बात की तो साहब सिंह को प्रतिवादी के द्वारा कहा गया कि अप्रेल माह से तो मैं ही पानी लगाउंगा क्योंकि उक्त जमीन अब मैने खरीद ली है। जिस पर साहब सिंह के द्वारा बताए जाने पर वादीया को हैरानी हुई और वादिया ने छानबीन की और वादिया प्रतिवादी से मिली तो प्रतिवादी के द्वारा कहा गया कि जिस दिन तुम कचहरी के लिए लिखा–पढ़ी के लिए लेकर गया था उसी दिन ही मैने उक्त जमीन अपने नाम से करवार कर अपने हाथ कटवा लिये हैं क्योकि दिनांक 24, 25, 26–6–2018 में वादीया को प्रतिवादी के द्वारा यह कहा गया था कि जो जमीन तुम्हे अपनी माता व भाई से तुम्हे प्रापत हुई है वह जमीन भी तुम अपने नाम से करवा कर हमें हिस्सा ठेका पर दे तो वादीया अनपढ़ व बुजुर्ग थी कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं थी इसलिए राजविन्द्र व उसके पिता जसवीर सिंह की बातों में आकर राजविन्द्र व उसके पिता के साथ माता व भाई की जमीन अपने नाम से करवाने श्रीगंगानगर आयी थी वहां पर अमनप्रीतकौर भी श्रीगंगानगर आयी ये कहकर कि मेरे को भी श्रीगंगानगर काम है और वहां पर वादीया व अमनप्रीत कौर पार्क में बैठा दिया गया वहां पर कागज तैयार किये वहां पर दो तीन दिन लगातार कागजी कार्यवाही के लिए बुलया गया और अनेकों कागजों पर अनेको जगह व तहसील कार्यालय आदि में ले जाकर व जमीन नाम करवाने का विश्वास दिलाकर अनेको जगह अंगूठे लगवाये। वादीया इस विश्वास पर कि माता व भाई वाली जमीन वादीया के नाम से इंतकार दर्ज के लिए कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही कर धोखा देकर व साजिश से षड्यन्त्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिये जबकि वादीया को उपरोक्त जमीन बेचने की न तो कभी आवश्यकता थी ना ही कभी बेचान की ना ही कभी कोई बेचान सम्बन्धी दस्तोवज प्रतिवादी के हक में तहरीर व तकमील करवाये ना ही बेचान सम्बन्धी राशि वादीया के द्वारा प्रतिवादी से प्राप्त की गई ना ही वादीया द्वारा सहमति से कोई हस्ताक्षर किये गये। प्रतिवादी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज अपने व बहन से मिल कर तैयार भी करवा लिये गये वादीया के द्वारा कोई भी रजिस्ट्री या इकरारनामा राजविन्द्र के हक में कभी नहीं करवाया। वादीया का जमीन पर कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में आज भी वादीया का नाम है। अगर कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है तो वह वादी के हितों पर बेअसर है। वादीया रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आपने को दर्ज करवाने की गलत

रहे का कहा गया मगर प्रतिवादी टाम मटोल करते हुए गलत रूप से 25.04.2019 को पानी की बारी पर पानी लगाने की जबरन कोशिश की। दिनांक 25.04.2019 को बाज व ममनू रहने से साफ इन्कार कर दिया यही वादीया को वाद हेतुक प्राप्त हुआ।

वादीया द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया :–

(क) डिक्री स्थायी निषेधाा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादी चक 16 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 73/64 के मुरब्बा नम्बर 26 में 5.401 हैक. कृषि भूमि थी जिसमें से कुछ रेलवे लाइन में जाने के बाद 4.725 हैक्टर कृषि भूमि है। वादीया का उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा वाजिब है। उक्त प्रार्थीया के हिस्से की 1/5 कृषि भूमि को प्रतिवादी किसी को रहन बैय मुंतकिल करने, वादी को स्वयं अथवा किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की जबदीली न की जावे और तथाकथित दस्तावेज के आधार पर इंतकाल न चढाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए समन तलब किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 22.05.2019 को पेश किया जिसके कथानानुसार वादीया ने जिस भूमि चक 16 एफ बडा तह0 व जिला श्रींगानगर के खाता संख्या 73/64 मु.नं. 26 के 5.401 हैक. की भूमि में से कुछ भूमि रेलवे लाइन में जाने के उपरान्त शेष बची 4.725 हैक. में अपना हिस्सा होने का कथन किया है, वह भूमि वादीया द्वारा मन प्रतिवादी को जरिये रस्टिर्ड बैयनामा दिनांक 25.06.2018 को विक्रय की हुई है, बैयनामा जो उपपंजीयक मिर्जेवाला से रजिस्टर्ड है की नकल शामिल है। इस बैयनामा में वादीया ने यह भी स्पष्ट अंकित करवाया है कि उसने अपने हिस्सा की भूमि का कब्जा भी प्रतिवादी को सौंप दिया है। वादीया ने अपने दावा में ऐसा कोई कथन नहीं किया कि उपरोक्त रजिस्टर्ड बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बैयनामा आज भी प्रभावी है, इस प्रकार रजिस्टर्ड बैयनामा के प्रभावी होने के कारण वादीया का मौजूदा वाद जाहिरा तौर से विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि वादीया जब तक रजिस्टर्ड बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से मनसूख नहीं करवाती, उसको किसी प्रकार से ऐसा वाद पेश करने का कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल ना होने से वादीया को कोई वाद कारण भी प्रतिवादी के खिलाफ उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने तथा वाद कारण के अभाव में इसी स्टेज पर निरस्तनीय है। राज्य सरकार द्वारा भी राजस्व न्यायालयों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वह किसी इकरारनामा, रजिस्टर्ड बैयनामा के खिलाफ किसी प्रकार के वादी की सुनवाई ना करे तथा उसको पेश होने पर ही निरस्त कर देवे। वकील प्रतिवादी द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.06.2018, एवं दिनांक 26.06.2018 की प्रमाणित प्रतियां पेश की।

वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब दिनांक 24.06.2019 को पेश किया जिसके कथनानुसार उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीया मालिक व काबिज है। उपरोक्त भूमि पर वादीया का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है।

मटीलीराठान तह. व जिला श्रीगंगानगर प्रतिवादी को दी हुई थी। प्रतिवादी के मन में वादीया को बुजुर्ग व लाचार देख कर गलत लालच आ गया और वादीया हमेशा बदल बदल हिस्सा ठेका पर ज़मीन देती रही है। परन्तु प्रतिवादी के मन में बदनियती होने के कारण व प्रतिवादी द्वारा ब्लेकमेल कर दबाव बनाया जा सके कि नियत से प्रतिवादी के द्वारा हिस्से ठेके की आड में कुछ तथाकथित कागजात तैयार कर लिये गये हैं। जिसकी जानकारी अब वादीया को सन् 2019 के लिए आगे कृषि भूमि ठेके पर आगे प्रतिवादी से अगल साहब पुत्र दर्शन सिंह नामक व्यक्ति को देने के लिए बात की तो साहब सिंह को प्रतिवादी के द्वारा कहा गया कि अप्रेल माह से तो मैं ही पानी लगाउंगा क्योंकि उक्त जमीन अब मैने खरीद ली है जिस पर साहब सिंह के द्वारा बताए जाने पर वादीया को हैरानी हुई और वादिया ने छानबीन की और वादिया प्रतिवादी से मिली तो प्रतिवादी के द्वारा कहा गया कि जिस दिन तुम्हे कचहरी के लिए लिखा पढ़ी के लिए लेकर गया था, उसकी दिन ही मैने उक्त जमीन अपने नाम करवार कर तुमने अपने हाथ कटवा लिये हैं क्योकि दिनांक 24, 25, 26–06–2018 में वादीया को प्रतिवादी के द्वारा यह कहा गया था कि जो जमीन तुम्हे अपनी माता व भाई से तुम्हे प्राप्त हुई है। वह जमीन भी तुम अपने नाम से करवा कर हमें हिस्सा ठेका पर दे तो वादीया अनपढ़ व बुजुर्ग थी कोर्ट कचहेरी की जानकारी नहीं थी इसलिए राजविन्द्र व उसके पिता जसवीर सिंह की बातों में आकर राजविन्द्र व उसके पिता के साथ माता व भाई की जमीन अपने नाम से करवाने श्रीगंगानगर आयी थी। वहां पर अमनप्रीत कौर भी श्रीगंगानगर आयी ये कहकर कि मेरे को भी श्रीगंगानगर काम है और वहां पर वादीया व अमनप्रीत कौर पार्क में बैठा दिया गया वहां पर कागज तैयार किये वहां पर दो तीन दिन लगातार कागजी कार्यवाही के लिए बुलया गया और अनेकों कागजों पर अनेको जगह व तहसील कार्यालय आदि में ले जाकर व जमीन नाम करवाने का विश्वास दिलाकर अनेको जगह अंगूठे लगवाये। वादीया इस विश्वास पर कि माता व भाई वाली जमीन वादीया के नाम से इंतकार दर्ज के लिए कार्यवाही का धोखा देकर व साजिश से षड्यन्त्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिये जबकि वादीया को उपरोक्त जमीन बेचने की न तो कभी आवश्यकता थी ना ही कभी बेचान की, ना ही कभी कोई बेचान सम्बन्धी दस्तोवज प्रतिवादी के हक में तहरीर व तकमील करवाये ना ही बेचान सम्बन्धी राशि वादीया के द्वारा प्रतिवादी से प्राप्त की गई ना ही वादीया ने कोई सहमति से कोई हस्ताक्षर किये। वादीया ने उक्त जमीन को बैंक के रहन भी रखा हुआ है। प्रतिवादी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज धोखे से वादीया की कीमती जमीन हडपने की नियत से अपने पिता व बहन से मिल कर तैयार भी करवा लिये गये। वादीया के द्वारा कोई भी रजिस्ट्री या इकरारनामा राजविन्द्र के हक में कभी नहीं करवाया। वादीया का जमीन पर कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में आज भी वादीया का नाम है। वादीया के साथ धोखा कारित किया गया। जिसका 420 आई.पी.सी. का मुकदमा भी मटीलीराठान पुलिस थाना जिला श्रीगंगानगर में दर्ज करवाया गया है जिसमें जांच अभी भी विचाराधीन है। वादीया के द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा नहीं करवाया गया है जो कि शुरू से ही वादीया के हितों पर बेअसर एवं शून्य है। वादीया के द्वारा सही वाद पेश किया गया है और वादीया को दावा लाने का पूरा हक व अधिकार है। राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि सुना ही नहीं जायेगा, फर्जी रजिस्टर्ड बैयनामा से प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं इसलिए सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हैवी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे। वादीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में हस्तगत वाद में वर्णित विवादास्पद भूमि बाबत दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा विवादास्पद भूमि का बेचान प्रतिवादी को जरिए बैयनामा दिनांक 25.06.2018 एवं रजिस्ट्री दिनांक 26.06.2018 के अपना हक त्याग प्रतिवादी के पक्ष में किया जा चुका है तथा वादीया द्वारा प्रतिवादी के नाम बैयनामा रजिस्ट्री करवाये जाने के पश्चात् सम्बन्धित भूमि पर हक शेष नहीं रहता। जहां तक उक्त वर्णित भूमि को कूटरचित दस्तावेजा तैयार कर प्रतिवादी द्वारा वादीया से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपने नाम करवाने का प्रश्न है। वह जांच का विषय है एवं इस न्यायालय की अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खाजिर किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 08.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीश्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीश्रीगंगानगर